विधायी विभाग

31 जनवरी, 1975

पंजाब भूदान यज्ञ ऐक्ट, 1955 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के 5 दिसम्बर, 1974 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

पंजाब भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955

(1956 का पंजाब अधिनियम सं० 45)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारम्भ किए गए भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए, भूदान यज्ञ बोर्ड के गठन, उक्त बोर्ड को भूमियों के दान करने, दान में प्राप्त की हुई भूमियों को भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने और सामुदायिक प्रयोजनों के लिए उनके उपयोग हेतु तथा पूर्वोक्त विषयों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1—प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम पंजाब भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955 कहा जा सकता है ।

(2) यह उन राज्य क्षेत्रों पर प्रसारित किया जाता है, जो पहली नवम्बर, 1966 से ठीक पहले पंजाब राज्य में शामिल थे, परन्तु इसके अन्तर्गत पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 4 के अधीन गठित चंडीगढ़ का संघ राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है ।*

(3) यह तुरन्त लागू होगा ।

*पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।

www.vinoba.in

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "भूदान धारक" से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 25 के अधीन ग्राम के कागज़-पत्रों या अधिकार-अभिलेख में भूदान धारक के रूप में दर्ज हो ;

(ख) "भूदान यज्ञ" से अभिप्राय है, बोर्ड के पक्ष में स्वेच्छापूर्वक दान के द्वारा भूमि की प्राप्ति के लिये श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारम्भ किया गया आन्दोलन ;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्राय है, पंजाब राज्य या हरियाणा राज्य या अन्तरित राज्यक्षेत्र के लिये, जैसी भी स्थिति हो, स्थापित किया गया या स्थापित किया गया समझा गया, पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड अथवा हरियाणा भूदान यज्ञ बोर्ड अथवा हिमाचल प्रदेश भदान यज्ञ बोर्ड ;*

(घ) "सामुदायिक प्रयोजन" से अभिप्राय है, कोई भी प्रयोजन जो सामान्य रूप में ग्राम के समुदाय की भलाई के लिये हो ;

(ङ) "भूमि" से अभिप्राय है, ऐसी भूमि जो खेती के प्रयोजनों के लिये या खेती के सहायक प्रयोजनों के लिये अथवा चरागाह के लिये कब्जे में रखी जाती है या पट्टे पर दी जाती है ;

(च) "भूमिहीन व्यक्ति" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस के पास कोई भी भूमि नहीं है या ऐसे क्षेत्रफल से कम भूमि है जो इस निमित्त नियत की जाए ;

(छ) "राजस्व अधिकारी" से अभिप्राय है, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (या उस समय लागू किसी अन्य समान विधि)* के अधीन नियुक्त ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस अधिनियम या विधि के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के कृत्य निभाने के लिये नियुक्त करे ; 1887 का 17.

(ज) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;

(झ) "अन्तरित राज्य-क्षेत्र" से अभिप्राय है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र को अन्तरित राज्यक्षेत्र ।*

* पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।

www.vinoba.in

अधिनियम में किन्हीं निर्देशों का अर्थ लगाना ।

2. क.* इस अधिनियम के उपबन्धों को, —

(1) हरियाणा राज्य को लागू करने में इस अधिनियम में नीचे लिखी सारणी के खाना (1) में वर्णित किसी पद के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उक्त सारणी के खाना (2) में वर्णित उसके स्थान पर आए पद के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

सारणी

1	2
राज्य सरकार	हरियाणा राज्य की सरकार ।
पजाब भूदान यज्ञ बोर्ड	हरियाणा भूदान यज्ञ बोर्ड ।
राजपत्र	हरियाणा सरकार का शासकीय राजपत्र ।

(2) * * * *

अध्याय–2 बोर्ड की स्थापना

भूदान यज्ञ बोर्ड का निगमन ।

3. (1) हरियाणा भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा ।

(2) बोर्ड निगमित निकाय होगा, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन और निपटान करने की शक्ति प्राप्त होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार भूदान यज्ञ बोर्ड के लाभ के लिये उसमें निहित सभी भूमियों का प्रबन्ध करे ।

*पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 द्वारा जोड़ा गया ।

www.vinoba.in

अन्तरित राज्यक्षेत्रों के बारे में बोर्ड की शक्तियां ।

[3. क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड, धारा 3 के अधीन किसी बोर्ड की स्थापना होने तक, इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड समझा जाएगा और उसके अनुसार बोर्ड के कृत्यों का पालन करेगा, कर्तव्य निभाएगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा ।]*

बोर्ड का गठन ।

4. (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामजद किया जाएगा ;

(ख) छह या अधिक सदस्य, किन्तु जो दस से अधिक नहीं होंगे, श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

(2) इन सदस्यों में से एक सदस्य श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

(3) बोर्ड, धारा 34 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी को सचिव या किसी सदस्य अथवा अपने सदस्यों में से तीन या तीन से अधिक सदस्यों की समिति को सौंप सकता है ।

सदस्यों या अध्यक्ष की पदावधि ।

5. (1) धारा 4 के अधीन नामजद अध्यक्ष, सचिव या सदस्य 4 वर्ष तक की अवधि के लिये पद धारण करेगा और वे फिर से नामजद किये जाने के पात्र होंगे ।

(2) अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नामजदगी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी और पदावधि ऐसी तिथि से प्रारम्भ होगी जो इस निमित्त अधिसूचित की जाए :

(3) परन्तु बोर्ड अपने किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकता है, जो उसकी राय में, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया है या उनको निभाने में असमर्थ रहा है या उसने बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका इस पद पर बना रहना लोकहित में या भूदान यज्ञ के हित में हानिकारक है ।

सदस्य का खाली पद भरा जाना ।

6. (1) बोर्ड का अध्यक्ष, सचिव या कोई भी सदस्य, किसी भी समय, श्री आचार्य विनोबा भावे को अपना त्यागपत्र भेजकर अपना पद त्याग सकता है । ऐसा कोई भी त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक यह स्वीकृत न हो जाए ।

(3) अध्यक्ष, सचिव या सदस्य का कोई भी खाली पद, जितनी जल्दी हो सके, भर लिया जाएगा ।

*धारा 3—क. पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 द्वारा जोड़ी गई, किन्तु यह हरियाणा राज्य को लागू नहीं होती ।

www.vinoba.in

कार्यवाहियों की विधिमान्यता ।

7. इस अधिनियम के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही केवल इसी कारण प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि बोर्ड में किसी सदस्य का पद खाली है, या बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव या किसी सदस्य की नामज़दगी में कोई त्रुटि या अनियमितता है ।

अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति ।

8. बोर्ड ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकता है, जो वह अपने कृत्यों के कुशल रूप से पालन के लिये आवश्यक समझे ।

अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ।

9. बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों के पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा नियत की जाएं ।

कार्य-संचालन ।

10. बोर्ड निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैठक करेगा और अपनी बैठकों के दिन, समय, नोटिस, प्रबन्ध तथा स्थगित करने के बारे में समय-समय पर ऐसे प्रबन्ध करेगा जो वह उचित समझे, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष, जब भी वह उचित समझे, विशेष बैठकें बुला सकता है–

(ख) अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो ऐसे अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये बैठक द्वारा चुना गया हो ;

(ग) किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों का निश्चय उपस्थित सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ; और

(घ) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी गई पंजी में दर्ज किया जाएगा ।

गणपूर्ति ।

11. (1) अधिवेशन के लिये गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी ।

से(2) यदि बोर्ड की किसी बैठक में गणपूर्ति न हो, तो अध्यक्ष बैठक को किसी ऐसे अन्य दिन के लिये स्थगित कर देगा, जो वह ठीक समझे, और वह कार्य, जो मूल बैठक के सामने, यदि गणपूर्ति होती, लाया जाता, स्थगित बैठक के सामने लाया जाएगा और उस में निपटाया जाएगा, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं ।

बोर्ड की निधियां ।

12. बोर्ड की अपनी निजी निधि होगी और वह केन्द्रीय या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति निकाय से, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये अनुदान, दान, हिब्बे या कर्जे स्वीकार कर सकता है ।

www.vinoba.in

निधियों का लगाया जाना ।

13. बोर्ड में निहित सारी संपत्ति, निधि और अन्य आस्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उस द्वारा रखी और लगाई जाएंगी ।

संविदा करने की शक्ति

14. बोर्ड ऐसी सभी संविदाएं कर सकता है और उनका पालन कर सकता है, जिन्हें वह इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को पूरा करने के लिये आवश्यक या उचित समझे ।

बोर्ड का भंग किया जाना ।

15. (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार की तसल्ली हो जाती है कि—

(क) बोर्ड, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन जिम्मे लगाये गये कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सौंपे गये कृत्यों का पालन, युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना नहीं कर पाया है ;

(ख) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बोर्ड इस अधिनियम के द्वारा या अधीन जिम्मे लगाए गए कर्तव्यों के निभाने या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है या असमर्थ हो सकता है ;

(ग) बोर्ड का भंग किया जाना अन्यथा उचित या आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा —

(i) बोर्ड को, बताई जाने वाली अवधि के लिये भंग कर सकती है ;

(ii) इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड को नए सिरे से बनाए जाने का निदेश दे सकती है, और

(iii) घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन उस अवधि तक जिसके लिये इसे भंग किया गया हो, ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा जैसा उसमें बताया जाए ।

(2) राज्य सरकार, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकती है जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों ।

तहसील समितियां

16. (1) बोर्ड किसी ऐसी तहसील के लिये तहसील समितियां बना सकता है, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, और उन समितियों में कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) तहसील समिति इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को किसी सदस्य को अथवा तीन या अधिक सदस्यों की उप-समिति को सौंप सकती है ।

www.vinoba.in

अध्याय 3—भूमि का दान

भूमि का दान करने के लिये प्रक्रिया।

17. (1) भूमि में हस्तांतरणीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जो बोर्ड को इसका दान करना चाहता है, बोर्ड को विहित प्ररूप (फार्म) में दान-प्रस्ताव करने वाली घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

(2) बोर्ड, यदि इस दान को स्वीकार करने योग्य समझे, तो वह उस तहसील में जहां भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी को, घोषणा भेज देगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित घोषणा के प्राप्त होने पर, राजस्व अधिकारी, यदि उसकी ऐसी जांच के बाद, जो वह आवश्यक समझे, तसल्ली हो जाती है कि दाता दान देने केलिये सक्षम है और भूमि पर उसका विधिमान्य हक है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसी सम्पत्ति में हित रखने वाले समझे, विहित प्ररूप में नोटिस जारी करेगा, और नोटिस में बताई गई तिथि से पहले उन से कारण बताने के लिय कहेगा कि दान क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये।

(4) राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय के नोटिस-बोर्ड पर उपधारा (3) में बताएगए नोटिस की एक प्रति चिपकाएगा और उस गांव में, जहां भूमि स्थित है, डोंडी पिटवाकर इसकी घोषणा करवाएगा।

(5) भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, नोटिस में लिखी गई तिथि से पहले, राजस्व अधिकारी के सामने कारण बताने वाला आक्षेप दाखिल कर सकता है कि दान क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये।

(6) ऐसे सभी आक्षेपों की जांच और निश्चय राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(7) यदि बताई गई तिथि से पूर्व कोई भी आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता, या दाखिल किये गये सभी आक्षेप राजस्व अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये हैं, तो वह बोर्ड की ओर से दान स्वीकार करने वाला कोई आदेश करेगा।

(8) दान की स्वीकृति पर, भूमि में दाता के सभी हक और हित समाप्त हो जाएंगे और भूमि, धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे सभी अधिकारों सहित जो दाता के पास थे, बोर्ड में निहित हो जाएगी।

(9) राजस्व अधिकारी कार्यवाही की किसी भी अवस्था में किसी भी निम्नलिखित आधार पर दाता के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है, अर्थात्,—

(i) दाता दान देने के लिए अक्षम है;

(ii) दाता का हक त्रुटियुक्त है;

www.vinoba.in

(iii) भूमि पर भार-रोध हैं ;

(iv) ऐसे अन्य आधार, जो विहित किए जाएं ।

राजस्व अधिकारियों का आदेश सिविल-वाद के अधीन होगा ।

18. धारा 17 की उप-धारा (7) के अधीन किसी आक्षेप को अस्वीकृत करने वाला, राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया आदेश, अपील या पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा, किन्तु आदेश द्वारा व्यथित कोई भी पक्षकार या भूमि में हित रखने वाला कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन कार्यवाहियों का नोटिस नहीं मिला था, ऐसे आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर, आदेश को रद्द करने के लिए अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और ऐसे न्यायालय का निश्चय बोर्ड पर आबद्धकर होगा, और ऐसे वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, राजस्व अधिकारी का आदेश निश्चायक होगा ।

दोनों का वापस न लिया जा सकना ।

19. भूमि का प्रत्येक दान जिसके बारे में धारा 17 के अधीन आदेश किया गया है, आदेश की तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

बोर्ड में निहित भूमि कुर्की योग्य नहीं होगी ।

20. धारा 18 के अधीन की गई किसी डिक्री (आज्ञप्ति) के सिवाय, बोर्ड में निहित भूमियों की, बोर्ड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय द्वारा की गई किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की या बिक्री नहीं हो सकेगी ।

इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले भूमि का दान ।

21. (क) (1) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए कोई भूमि दान की गई है, वहां बोर्ड ऐसी भूमियों की एक सूची निम्नलिखित बातें दर्शाते हुए तैयार करेगा—

(क) क्षेत्रफल तथा विवरण ;

(ख) दाता का नाम ;

(ग) भूमि में दाता के हित का स्वरूप ;

(घ) यदि भूदान यज्ञ के अनुसरण में किसी व्यक्ति को भूमि दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम, जिस को भूमि दी गई है ;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन भूमि दिए जाने की तिथि ;

(च) ऐसा अन्य विवरण जो विहित किया जाए ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची उस जिले के उपायुक्त को भेजी जाएगी, जिस की अधिकारिता में भूमि स्थित है ।

www.vinoba.in

(3) ऐसी सूची की प्रति पर, उपायुक्त सूची में बताई गई भूमियों के बारे में धारा 17 के अनुसार कार्रवाई करवाएगा।

(4) धारा 17 से 20 तक के और 21 (ख) के सभी उपबन्ध उक्त भूमियों के दान के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद दी गई भूमियों के सभी दानों के बारे में लागू होते हैं :

परन्तु जहां धारा 17 की उप-धारा (7) के अधीन किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश किया जाता है, वहां दान ऐसी तिथि से स्वीकृत किया गया समझा जाएगा, जिस तिथि को भूमि का दान किया गया था और इस प्रयोजन के लिए यह अधिनियम ऐसी तिथि को लागू हुआ समझा जाएगा।

(5) यदि कोई ऐसी भूमि, जिस का दान इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले इस प्रकार प्राप्त किया गया था, भूदान यज्ञ के अनुसरण में किसी व्यक्ति को पहले ही दी जा चुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस तिथि को, जब ऐसा व्यक्ति उसका कब्जा लेता है, बोर्ड द्वारा दी गई समझी जाएगी और दी गई भूमि उन सभी दायित्वों के अधीन होगी, जिनके अधीन बोर्ड द्वारा सामान्य रूप से दी गई कोई भूमि होगी।

(ख) किसी विधि के उपबन्ध के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करने वाला कोई भी मुजारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ऐसी भूमि में अन्तरणीय हित का मालिक समझा जाएगा।

भूमियां जिनका दान नहीं किया जा सकता।

22. (1) किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई भी स्वामी निम्नलिखित भूमियों का दान करने के लिए सक्षम नहीं होगा :—

(क) ऐसी भूमि जो अभिलेख में चरागाह, श्मशान या कब्रिस्तान, जलाशय, रास्ते या खलिहान के रूप में दर्ज हो या उसे प्रथा द्वारा इस प्रकार समझा गया हो ;

(ख) ऐसी अन्य भूमि जैसी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए।

(2) किसी जीवनपर्यन्त संपदा का धारक उसमें अपने आजीवन हित का दान करने के लिए सक्षम होगा।

www.vinoba.in

अध्याय 4—भूमि का वितरण

बोर्ड की भूमि बांटने की शक्ति ।

23. किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल उपबन्धित होते हुए भी,—

(i) बोर्ड को अपने में निहित भूमि को बांटने की शक्ति होगी ; और

(ii) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, भूमि पाने वाले को न ही कोई अधिकार होंगे तथा न ही वह किन्हीं अधिकारों का दावा करने का हकदार होगा ।

तहसील-समितियां भूमि वितरण करेंगी ।

24. तहसील समिति, ऐसे विनियमों के अनुसार जो उस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए जाएं, बोर्ड में निहित भूमि को ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों में बांटेगी, जो उस पर स्वयं खेती करने में समर्थ हैं ।

भूदान धारक, तथा बांटने की शर्तें ।

25. ऐसे, व्यक्ति को जिसे धारा 23 या 24 के अधीन भूमि बांटी जाती है, ग्राम के कागज-पत्रों या अधिकार-अभिलेख में भूदान धारक के रूप में दर्ज किया जाएगा और वह निम्न-लिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भूमि धारण करेगा, अर्थात् —

(क) बोर्ड से सीधे भूमि धारण करने वाला समझा जाएगा और ऐसे भूराजस्व का भुगतान करने के लिए दायी होगा जो ऐसी भूमि पर निर्धारित किया गया हो या किया जा सकता है ;

(ख) उसकी मृत्यु पर उसके अधिकार उसके वारिसों के पास चले जाएंगे ;

(ग) वह भूमि में किसी हित का अन्तरण नहीं करेगा ;

(घ) वह भूमि को दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परती नहीं रहने देगा ;

(ङ) वह नियत तिथि को भूमि का लगान देगा ;

(च) यदि गांव में कोई सहकारी खेती सोसाइटी बनाई जाती है तो वह, यदि राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसा कहा जाए, सहकारी खेती सोसाइटी का सदस्य बन जाएगा और इसकी उपविधियों और विनियमों का पालन करेगा ।

शर्तों के भंग होने पर भूदान धारक की बेदखली ।

26. यदि कोई भूदान धारक धारा 25 में दी गई किसी शर्त को भंग करता है, तो राजस्व अधिकारी, ऐसी जांच के बाद, जो वह ठीक समझे, धारक के अधिकार को समाप्त कर सकता है और भूमि, उससे वसूली-योग्य भूमि-लगान के बकायों के भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, बोर्ड में निहित हो जाएगी ।

भूदान धारक द्वारा धारण की गई भूमि का कुर्की योग्य न होना ।

27. धारा 18 के अधीन की गई किसी डिक्री के अधीन रहते हुए, भूदान धारक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा धारण की गई भूमि की, किसी सिविल न्यायालय द्वारा की गई किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, कुर्की या बिक्री नहीं हो सकेगी ।

www.vinoba.in

अध्याय 5—फुटकर

28. किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी, धारा 17 के अधीन किसी दान की स्वीकृति अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि का किया गया या किया गया समझा गया भूमि का दिया जाना, (क) स्टाम्प शुल्क के भुगतान से और (ख) दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण तथा निष्पादन से संबंधित विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या तसदीक से छूट-प्राप्त समझा जाएगा। — स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण से छूट।

29. धारा 17 के अधीन किए गए आदेश की तिथि से भूमि का कब्जा रखने वाला कोई भी व्यक्ति और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए दान में प्राप्त भूमि का, विधि से भिन्न प्रकार से, कब्जा लेता है, किसी राजस्व अधिकारी को बोर्ड या संबंधित भूदान धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, बेदखल किया जा सकता है। — विधि-विरुद्ध कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली।

30. (1) यदि बोर्ड को दान में दी गई भूमि किसी जोत-क्षेत्र का भाग है, तो बोर्ड या संबंधित भूदान धारक किसी राजस्व अधिकारी को कब्जे के लिए आवेदन कर सकता है और राजस्व अधिकारी, किसी विधि में किसी उपबन्ध के प्रतिकूल होते हुए भी, जोत-क्षेत्र को विभाजित कर सकता है और भूमि का सीमांकन कर सकता है और भूराजस्व या भाटक को, जैसे भी स्थिति हो, प्रभाजित कर सकता है। — जोत-क्षेत्र का विभाजन।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन विभक्त जोत-क्षेत्र पर, लगान या राजस्व के, जैसे भी स्थिति हो, कोई बकाये हों तो राजस्व अधिकारी बोर्ड को दान दिए गए जोत-क्षेत्र के भाग पर देय बकायों को नियत करेगा और इस पर बोर्ड और भूदान धारक इस प्रकार नियत किए गए बकायों के भाग को देने के लिए दायी होंगे और पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 में (या उस समय लागू किसी अन्य समान विधि में) * किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या भूदान धारक जोत-क्षेत्र के बाकी भाग के बारे में बकाया के लिए दायी नहीं होगा।

17 का

31. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 या उस समय लागू किसी अन्य समान विधि के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए कार्यवाहियां समझी जाएंगी, और उक्त अधिनियम या समान विधि के अधीन कार्यवाहियों को लागू होने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। — प्रक्रिया।

17 का

32. यदि किसी तहसील के लिए कोई समिति बनाई गई हो, तो इस अधिनियम के अधीन तहसील समिति के कृत्यों का पालन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। — तहसील समिति के रूप में कार्य करने की बोर्ड की शक्ति।

33. श्री आचार्य विनोबा भावे के जीवन-काल के बाद या किसी भी समय जब वे अशक्तता या किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाएं, तो उन्हें सौंपे गए कृत्यों का पालन अखिल भारत सर्व सेवा संघ, वर्धा, द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम में श्री आचार्य विनोबा भावे के बारे में सभी निर्देशों का अर्थ उक्त संघ के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। — निर्देशों का अर्थ लगाया जाना।

*पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 द्वारा जोड़ा गया।

www.vinoba.in

बोर्ड की सामुदायिक प्रयोजनों के लिए भूमि बांटने की शक्तियां ।

34. बोर्ड अपने में निहित किसी भी भूमि को किसी सामुदायिक प्रयोजन के लिए बांट सकता है या ऐसी किसी भूमि को अन्य भूमि के साथ बदल सकता है ।

विनियम ।

35. बोर्ड, समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकता है

(क) अपनी प्रक्रिया का विनियमन और अपने कारबार का निपटान ;

(ख) अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें ;

(ग) तहसील-समिति की प्रक्रिया का विनियमन, उसके कारबार का निपटान, उसका गठन और विघटन, ऐसी समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के पद की अवधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना और उनके पदाधिकारियों और सदस्यों का हटाया जाना ;

(घ) भूमियों के वितरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त, उन व्यक्तियों की अर्हताएं जिन्हें भूमि दी जा सकती है और एक परिवार को बांटे जाने वाला अधिकतम क्षेत्र ;

(ङ) उप-समितियों की नियुक्ति और उप-समितियों को तथा उनके पदाधिकारियों तथा उनके सदस्य विशेष को शक्तियों का सौंपा जाना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों से उठने वाला कोई भी ऐसा अन्य मामला, जिसके वास्ते विनियम बनाना आवश्यक या उचित हो।

अधिनियम का निष्क्रान्त संपत्ति को लागू न होना ।

36. इस अधिनियम की कोई भी बात, निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 में यथापरिभाषित निष्क्रान्त सम्पत्ति को लागू नहीं होगी। 1950 का केन्द्रीय अधिनियम 31.

नियम बनाने की शक्ति ।

37. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पहले बताई गई शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित नियम बना सकती है--

(क) धारा 2 के खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए भूमि का क्षेत्र विहित करना ;

(ख) भूमि का दान देने की किसी घोषणा को प्रस्तुत करने के लिए धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस का प्ररूप (फार्म) विहित करना ;

www.vinoba.in

(ग) व्यक्तियों से कारण बताने के लिए कि भूमि का दान क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए, कहने वाला धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन नोटिस का प्ररूप ('फ़ार्म') विहित करना ;

(घ) धारा 17 की उप-धारा (9) की मद् (IV) के अधीन, दान प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के अन्य आधार बताना ;

(ङ) धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अन्य विवरण विहित करना ।

शिव चरण दास वजाज,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग ।

www.vinoba.in